संख्या 399/XIV-1/2009

प्रेषक,

आर0सी0पाठक,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1 देहरादून दिनॉक 15/6/ मई 2009

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सहकारी सहभागिता योजना (टी0एस0पी0) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 747/नियो0/सहभागिता/2009-10 दिनांक 01.05.2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए सहकारी सहभागिता योजना (ट्रायबल सब प्लान) के अन्तर्गत अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन, आवास ऋणों पर लागू ब्याज दरों के सापेक्ष भारत सरकार/नाबार्ड से 2% के प्रतिपूर्ति के पश्चात राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किये जाने वाले ब्याज दरों के अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) उक्त धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या 519/XIV-1/2008 दिनांक 22.07.2008 में उल्लिखित शर्तों/विवरण के अनुसार ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अंश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त क्लेम के निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नही होगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना से महालेखाकार (लेखा) कार्यालय, उत्तराखण्ड को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम व वाउचर संख्या लेखाशीर्षक तथा आहरण की तिथि सहित सूचित करने का उत्तरदायित्व निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड का होगा।

(3) इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना, पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाय।

(4) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल इसी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज के राज्यांश के अनुदान के रूप में ही प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा किसी ऐसे मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नहीं है।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है। यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद मे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके अनुशासनिक कार्यवाही करते हुये अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0–13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा, तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न की जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/समक्ष अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है। वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।

(8) उक्त योजना का निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के अनुसार दिनांक 31.03.2010 तक व्यय सुनिश्चित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करायेंगे तथा अवशेष धनराशि 31.03.2010 को शासन को समर्पित की जाय।

2. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 2425–सहकारिता आयोजनागत–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –00–05–सहकारी सहभागिता योजना – 50–उपादान के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या– 73 (P)/XXVII-4/ दिनाक 02.06.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0सी0पाठक)
अपर सचिव।

संख्या:–399 /XIV–1/2009, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, देहरादून, उत्तराखण्ड
2. वित्त अनुभाग–4/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
7. समस्त सचिव/ महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।